रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260395 CG-DL-E-23012025-260395

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2025/माघ 2, 1946

No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2025/MAGHA 2, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 70(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 2025 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में क्रम सं. 74 के टिप्पण की क्रम संख्या 2 के पैरा (ख) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष चार मास और सात दिन" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब्ल्यू] वेद प्रकाश मिश्रा ,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 543 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, सा.का.नि.

537 GI/2025 (1)

143(अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 और सा.का.नि. 895(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2025

- **G.S.R. 70** (E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in SCHEDULE-I, in Sl. No. 74, in the notes, in serial number 2, in paragraph (b) for the words "one year", the words "two year four months and seven days" shall be substituted.

[F. No. Q-15017/35/2007-CPW]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November 1986, and amended, *vide* notification G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009, G.S.R. 143(E), dated the 22nd February, 2022 and G.S.R. 895(E), dated the 15th December, 2023.